(48)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

पुर्नविलोकन प्रकरण कमांक–3153–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–08–2016 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का प्रकरण क्रमांक 1393–दो/2015/निगरानी

.....

मोहन पटेल तनय रामसुन्दर पटेल
निवासी–ग्राम पुरवा 310 तहसील मनगवां
जिला–रीवा, म0प्र0

————आवेदक

विरूद्ध

1– बृजभान पटेल तनय रामसुन्दर पटेल
निवासी–ग्राम पुरवा 310 तहसील मनगवां
जिला–रीवा, म0प्र0

2– श्रीमती लता रावत पति बृजलाल रावत
निवासी–ग्राम बसौली, तहसील मनगवां
जिला–रीवा, म0प्र0

3– श्रीमती सुशीला रावत पति भैयालाल रावत
निवासी–ग्राम बसौली, तहसील मनगवां
जिला–रीवा, म0प्र0

————अनावेदकगण

.....

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री वी0 के0 सिंह, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1
श्री दुष्यंत चौहान, अनावेदक क्र0 2 व 3

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 02-05-17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह पुर्नविलोकन म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–08–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक मोहन पटेल द्वारा पूर्व 310 स्थित भूमि खाता क्रमांक 84 कुल किता 22 कुल रकबा 1.372 हैक्टेयर लगानी 18 रुपये के आवेदकगण एवं अनावेदकगण सह खातेदार होकर भूमिस्वामी है तथा खाता क्रमांक 96 कुल किता 6 कुल रकबा 0.251 लगान 4 रुपये के भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी आवेदक एवं अनावेदक सहखातेदार होकर एक ही पिता की संतान है। इस आशय का आवेदन–पत्र उक्त खाते के बॅटवारे हेतु तहसील न्यायालय मनंगवा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण बृजभान को नोटिस जारी किया गया, लेकिन बृजभान द्वारा तहसील न्यायालय के नोटिस लैने से इन्कार किया । सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण में बृजभान अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। पटवारी मौजा को फर्दे प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा प्रकरण में आवेदकगण एवं अनावेदकगण हिस्सा 1/2, 1/2 की फर्द को प्रदर्शित कर प्रकरण में दिनांक 02.03.2012 को आदेश पारित किया गया ।

3/ तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 02.03.2012 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी मनगवां जिला रीवा के समक्ष अनावेदक बृजभान द्वारा की गई जो दिनांक 29.05.14 को निरस्त की गई दिनांक 29.05.2014 के आदेश के विरूद्ध अनावेदक बृजभान द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की जो दिनांक 25.05.15 को स्वीकार की गई तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये। दिनांक 25.05.14 के विरूद्ध निगरानी आवेदक मोहन पटेल

द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई जो प्र0क्र0 निग0 1393–दो/15 रीवा पर दर्ज होकर दिनांक 26.08.16 को निरस्त की गई, जिसके विरूद्ध पुर्नविलोकन आवेदन–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

4/ प्रकरण में उभयपक्षों को नोटिस जारी किये गये, जिसमें अनावेदक बृजभान की ओर से श्री बी0के0 सिंह अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा श्रीमती लता रावत व श्रीमती सुशीला रावत की ओर से श्री दुष्यंत चौहान अधिवक्ता उपस्थित हुये। प्रकरण में रिकॉर्ड आहूत किया गया तथा प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया । आवेदक अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.08.16 के अंतिम पैरा में निगरानी निरस्त कर प्रकरण को तहसील न्यायालय के समक्ष गुण–दोषों के आधार पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित भी किया गया है जो कि आपस में विरोधाभाषी है तथा रिकॉर्ड भूल है जो कि रिकॉर्ड पर स्पष्ट परिलक्षित होता है तथा पुर्नविलोकन का पर्याप्त आधार है। तथा अपने तर्क में यह भी बताया कि अनावेदक बृजभान द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा जारी किये गये नोटिस को साक्षियों के समक्ष लेने से इन्कार किया है तथा तहसील न्यायालय के बटवारे की कार्यवाही में जानबूझकर उपस्थित नहीं हुये है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है जो व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सोता रहता है कानून उसकी कभी सुरक्षा नहीं करता है। इसकी व्याख्या अनुविभागीय अधिकारी मनगवां द्वारा अपने आदेश के कॉलम नं0 4 में विस्तृत विवेचना की है। अनावेदकगणों के अधिवक्ता द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्कों का विरोध प्रकट किया ।

5/ प्रकरण में रिकॉर्ड का अवलोकन किया, दस्तावेजों का परिसीलन किया। संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:–

1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या

2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या

3 कोई अन्य पर्याप्त कारण, आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,